

कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/ड्राइंग-अनुमोदन/2017-18,
सेवा में, 1150

दिनांक:

21.08.17

सर्वश्री सुपरसिटी डेवलपर्स प्रा0लि0,
प्लॉट नं0-जी.एच.-7बी.,
टेक जोन-IV, ग्रेटर नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)।

विषय : 33/0.433 के0वी0 1500 के0वी0ए0 X 01 नं0 ट्रॉन्सफार्मर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित ड्राइंग्स का अनुमोदन।

प्रसंग : आपका पत्रांक शून्य, दिनांक शून्य।

प्रिय महोदय,

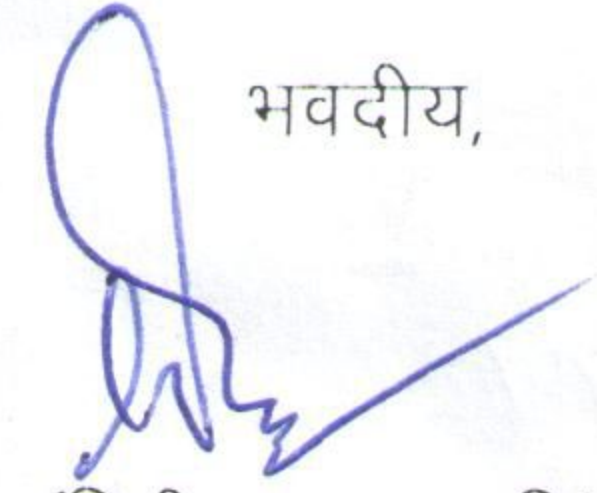
कृपया प्रासंगिक पत्र के साथ आपसे प्राप्त निम्नांकित एच0टी0 ड्राइंग का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कर दिया गया है। उसकी एक प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

(1) ले आउट प्लान आफ 33/0.433 के0वी0 1500 के0वी0ए0 X 01 नं0 ट्रॉन्सफार्मर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित ड्राइंग्स का अनुमोदन।

कृपया आप अपना अधिष्ठापन उपरोक्त अनुमोदित एच0टी0 ड्राइंग के अनुसार अधिष्ठापित करें, और सभी शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् इसका निरीक्षण उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद से करवायें तथा उनसे लिखित अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अपना अधिष्ठापन जीवन्त करायें।

संलग्नक : 01 नं0 ड्राइंग।

भवदीय,



(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/ड्राइंग-अनुमोदन/2017-18, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि सीनियर मैनेजर, नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, सेक्टर-अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम-63 के अनुसार किसी भी उच्च विभव अधिष्ठापन को इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही सजीव किया जा सकता है। अतः उच्च विभव अधिष्ठापन को उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद से लिखित अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही सजीव करने का कष्ट करें।

(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/ड्राइंग-अनुमोदन/2017-18, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद को अनुमोदित ड्राइंग की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले में जिला उद्योग केन्द्र से कागजात प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर तथा अन्य मामलों में उपभोक्ताओं से कागजात प्राप्त होने पर तीन दिन के अन्दर निरीक्षण करने का कष्ट करें। निरीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ताओं को भेजते समय ही उसकी प्रति मेरे नाम से प्रधान कार्यालय को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित की जाये।

संलग्नक : 01 नं0 ड्राइंग।

(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक